न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क /2018 निगरानी I/निगरानी/कटनी/भू.रा/2018/2446

श्रीमहाकाल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष विजयानंद पुत्र श्री विशुद्धानन्द, आयु 36 वर्ष लगभग, निवासी– ग्राम पोस्ट छपरा, स्थान जूना पानी, श्रीमहाकाल गौशाला, थाना स्लीमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी म.प्र.

................निगरानीकर्ता

प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-4-18 नियत।

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. म.प्र. शासन

2. ग्राम पंचायत छपरा द्वारा सचिव,

..............प्रतिनिगरानीकर्तागण

श्रीमती शशिकला बाथम शपथ आयुक्त ग्वालियर (2936) 17-4-18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकित 05/04/2018 जो प्रकरण कमांक 0455/अपील/17–18 में न्यायालय अपर आयुक्त जवलपुर संभाग, म0प्र0 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत है।

(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी/2446/18/कटनी** **श्री महाकाल ट्रस्ट बनाम मप्र शासन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-06-2018	आवेदक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विजयानंद स्वयं उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी व स्थगन पर सुना गया । मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों का परिषीलन किया । अपरआयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के आलौच्य आदेश दिनांक 05/04/18 में उल्लिखित संहिता की धारा 44 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने से उनके द्वारा अपील प्रचलन योग्य नहीं पायी जाने से समाप्त की गयी है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अतः यह निगरानी अग्राहय की जाती है। 5/6/18 सदस्य	